न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार बलाई आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः—14 / 2025

तारीख दायर—24.07.2025
तारीख—निर्णय—28.11.2025.

1. श्री लक्ष्मण सिह पिता भेरूसिह राजपुत जाति—राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........वादी

बनाम

1. श्री किशनसिह पिता भेरूसिंह राजपूत, निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री मोहनसिह पिता भेरूसिंह राजपूत, निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री भुपेन्द्रसिह पिता स्व.इन्द्रसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री शेतानसिह पिता स्व.इन्द्रसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नी स्व.इन्द्रसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्रीमती औसब कुंवर पुत्री भेरूसिंह राजपूत, निवासी बोडकी तहसील लसाडिया हाल निवासी भागल (करावली) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
7. श्रीमती कसन कुंवर पुत्री भेरूसिंह राजपूत, निवासी बोडकी तहसील लसाडिया हाल निवासी बोडला (करावली) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
8. श्री लालसिह पिता निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
9. श्रीमती अणत कुंवर पत्नी निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
10. श्रीमती चमन कुंवर पुत्री निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
11. श्रीमती मिठुकुंवर पुत्री निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
12. श्रीमती शंभु कुंवर पुत्री निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
13. श्री नाथुसिह पिता नवलसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
14. श्री फतहसिह पिता नवलसिह राजपुत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
15. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड.रेवन्यू. एक्ट

उपस्थित— वादीकी ओर से— श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी
प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा वोडकी पटवार क्षेत्र शोभ जी का गुडा तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 88 व पुराना 24 के आराजी नम्बर 100 रकबा 0.324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 101 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 104 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 105 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्वर 107 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 409 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 410 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 411 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 435 रकबा 0.4428 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 436 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 437 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 474 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 475 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 476 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 485 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 486 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 490 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 506 रकबा 1.7820 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 99 रकबा 0.2052 हैक्टेयर, कुल किता 22 कुल रकबा 4.6008 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगणो को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादीगणों को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणो द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगणों बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहै है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीगणों की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादीगणों वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

विभाजन चाहते है। जिसमे प्रतिवादीगणों को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद सावित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा बोडकी पटवार क्षेत्र शोभ जी का गुडा तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 88 व पुराना 24 के आराजी नम्बर 100 रकबा 0.324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 101 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 104 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 105 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 107 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 409 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 410 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 411 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 435 रकबा 0.4428 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 436 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 437 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 474 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 475 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 476 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 485 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 486 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 490 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 506 रकबा 1.7820 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 99 रकबा 0.2052 हैक्टेयर, कुल किता 22 कुल रकबा 4.6008 हैक्टेयर, भूमि की पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर किया जाता है PD पालना हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ....28.11.2025............ .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेश [illegible] बलाई RAS)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार बलाई आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः–14 / 2025

तारीख दायर–24.07.2025
तारीख–निर्णय–28.11.2025.

1. श्री लक्ष्मण सिह पिता भेरूसिह राजपुत जाति–राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........वादी

बनाम

1 श्री किशनसिह पिता भेरूसिंह राजपूत, निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री मोहनसिह पिता भेरूसिंह राजपूत, निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री भुपेन्द्रसिह पिता स्व.इन्द्रसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री शेतानसिह पिता स्व.इन्द्रसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नी स्व.इन्द्रसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्रीमती औसब कुंवर पुत्री भेरूसिंह राजपूत, निवासी बोडकी तहसील लसाडिया हाल निवासी भागल (करावली) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
7. श्रीमती कसन कुंवर पुत्री भेरूसिंह राजपूत, निवासी बोडकी तहसील लसाडिया हाल निवासी बोडला (करावली) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
8. श्री लालसिह पिता निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
9. श्रीमती अणत कुंवर पत्नी निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
10. श्रीमती चमन कुंवर पुत्री निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
11. श्रीमती मिठुकुंवर पुत्री निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
12. श्रीमती शंभु कुंवर पुत्री निर्भयसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
13. श्री नाथुसिह पिता नवलसिह राजपूत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
14. श्री फतहसिह पिता नवलसिह राजपुत निवासी बोडकी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
15. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

............प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 रा0टि0एक्ट

उपस्थित– वादीकी ओर से– श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक ......28.11.2025...... को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा बोडकी पटवार क्षेत्र शोभ जी का गुडा तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 88 व पुराना 24 के आराजी नम्बर 100 रकबा 0.324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 101 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 104 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 105 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 107 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 409 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 410 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 411 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 435 रकबा 0.4428 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 436 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 437 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 474 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 475 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 476 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 485 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 486 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 490 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 506 रकबा 1.7820 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 99 रकबा 0.2052 हैक्टेयर, कुल किता 22 कुल रकबा 4.6008 हैक्टेयर, भूमि की पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर किया जाता है PD पालना हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेश कुमार ... RAS)
लसाडिया जिला सलुम्बर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला–सलूम्बर

उपखण्ड़ अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)